

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती पूरण

किस्म मुकदमा -88,188 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री गिरधारीलाल

पत्रावली संख्या : 97 / 24

जीसीएमएस : 2024 / 221

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 22.05.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक कुमार बडगुर्जर द्वारा वकालतनामा पेश किया। शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विद्घो का पेश किया। शामिल फाईल रहे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विद्घो का पेश कर उक्त वाद को इसी स्तर पर विद्घो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण को प्रार्थना पत्र वाद विद्घो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्घो को पढकर अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विद्घो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्घो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्घो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

